रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401] नई दिल्ली, बहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2019/कार्तिक 23, 1941
No. 401] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2019/KARTIKA 23, 1941

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
आदेश

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2019

फा. सं. **CEA-PS-11-21(21)/5/2019-PSPA-I Division.**—जबकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, ने अपने आदेश क्र. का.आ. 5404(अ) दिनांक 26 अक्टूबर, 2018 के द्वारा एफबीटीएल (फतेहगढ़- भाडला ट्रांसमिशन लिमिटेड) को इसके आवेदन पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए फतेहगढ़ पूलिंग स्टेशन-भाडला (पीजी) 765 केवीडी/सी लाइन (400 केवी पर परिचालित होने वाली) को संस्थापित या प्रबंधित किए जाने के संबंध में, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है; तथा

जबकि मे. एफबीटीएल के Forest Clearance के अनुरोध पर, कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्य जीव, जैसलमेर, वन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पत्र सं. एफ ( ) विविध/उवसवजीजै/2018-19/498 दिनांक 05.02.2019 को सूचित किया है कि उक्त लाइन का 63 कि.मी. का मार्ग डीएनपी के जीआईबी आर्क से होकर गुज़र रहा है, और इसलिए, मे. एफबीटीएल से अनुरोध किया है कि वह अन्य विकल्प ढूँढे और जीआईबी आर्क के बाहर लाइन का पुनर्मार्गीकरण करे; तथा

जबकि मे. एफबीटीएल ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को पत्र सं. FBTL/CEA/022/27072019 दिनांक 27.07.2019 के द्वारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) आर्क से बचने के लिए लाइन के पुनर्मार्गीकरण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत अधिकरण माँगने हेतु अनुरोध किया है।

तदनुसार, इस लाइन के पुनर्मार्गीकरण हेतु एवं विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत अधिकरण प्रदान करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एतद् द्वारा भारत के राजपत्र में इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी होने के साथ अपना आदेश क्र. का.आ. 5404(अ) दिनांक 26 अक्तूबर, 2018 वापस लेता है।

पी. सी. कुरील, सचिव

[विज्ञापन- III/4/असा./292/19]

टिप्पणी : आदेश क्र. का.आ. 5404(अ) दिनांक 26 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II अनुच्छेद 3 (ii) में प्रकाशित किया गया था।

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 21st October, 2019

F. No. CEA-PS-11-21(21)/5/2019-PSPA-I Division.— Whereas the Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India vide Order No. S.O. 5404(E) dated 26th October, 2018 had conferred upon M/s FBTL (Fatehgarh - Bhadla Transmission Limited) on its application all the powers under Section 164 of Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of Fatehgarh Pooling Station-Bhadla (PG) 765 kV D/C line (to be operated at 400 kV); and

Whereas on request of M/s FBTL for Forest Clearance, कार्यालय उप वन सरंक्षक वन्य जीव, जैसलमेर, वन विभाग, राज्स्थान सरकार vide its letter No. **एफ**( ) विविध/उवसवजीजै/2018-19/498 dated 05.02.2019 has intimated to them that the 63 km route of the said line is passing through the GIB Arc of DNP, and therefore, requested M/s FBTL to explore other alternative and re-route the line outside the GIB Arc; and

Whereas M/s FBTL vide its letter No. FBTL/CEA/002/27072019 dated 27.07.2019 to the Central Electricity Authority has requested for seeking authorization under section 164 of the Electricity Act, 2003 for the re-routing line to avoid Great Indian Bustard (GIB) Arc.

Accordingly, in order to process the request of M/s FBTL for granting authorization under section 164 of the Electricity Act, 2003 for re-routing the line, Central Electricity Authority hereby revokes its Order No. S.O. 5404(E) dated 26th October, 2018 with effect from date of issue of this order in the Gazette of India.

P. C. KUREEL, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./292/19]

Note: The Order No. S.O. 5404(E) dated 26th October, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii).

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.11.16 11:40:40 +05'30'